न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1203 सन 2021

अनवान :–

1. रोहताश पुत्र कुम्भाराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. परमानन्द पुत्र कुम्भाराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. भैरूराम पुत्र सुणाराम जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
2. ईसरराम पुत्र मामचन्द जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
3. धर्मपाल पुत्र मालाराम जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
4. गोपीराम पुत्र किशनाराम जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
5. हंसराज पुत्र मालाराम जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
6. गोपीराम पुत्र बीरबलराम जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 / 183
,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी
श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता 1 ,3 ,4 ,6
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 22/10/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की अराजी जरई खाता संख्या 147 / 149 के खसरा नम्बर 133 की 4.3640हैक रोही मौजा मालिया वादीगण संख्या 1 ,2 के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है उपरोक्त भूमि के खसरा न0 133 के दक्षिण तरफ खसरा न0 134 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने नाजायज विधि वादीगण की खातेदारी भूमि की दक्षिण सीव को तोडकर वादीगण के खेत उतर की तरफ घुसकर नाजायज तरीके से लकडिया , बटोडे , थेपडी आदि डालकर नाजायज नोहरे , मकानात , बना रखे है तथा निर्माण कर रहे है प्रतिवादीगण उक्त वादीगण की खातेदारी भूमि में घुसकर आगे बढकर वादीगण की उतरी तरफ घुस कर नाजायज कब्जा कर रखा है जो खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण करने की श्रेणी में आता हे।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 7 तहसीलदार नोहर से अपने खेत खसरा नम्बर 133 की सीमाज्ञान करवाया गया जिस पर पटवारी हल्का ने फर्द मौका तेयार किया जिसमे स्पष्ट नही किया की प्रतिवादीगण ने वादीगण की दक्षिण सीव तोडकर उसके खातेदारी भूमि में उतरी तरफ कितने गठठा /बीधा पर अतिक्रमण कर रखा है उसके खातेदारी खेत मे नाजायज नियम विरूक्ष प्रतिवादीगण ने कब्जा किया हुआ है।

वादीगण के खेत खसरा न0 133 की दक्षिण सीव को तोडकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने खसरा न0 134 जो वादीगण के दक्षिण तरफ हे उक्त खसरा न0 134 से उतर की तरफ बढकर वादीगण की सीमा में घुसकर नाजायज कब्जा कर रखा है जिससे वादीगण बेदखल करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की वादीगण के खातेदारी भूमि पर से अवैध तौर से किये गये अतिक्रमण को हटा लेवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:08:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादीगण संख्या 1 ,2 की खातेदारी भूमि रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 147/149 के खसरा न0 133 की 4.3640हैक की दक्षिणी सीव की तरफ वादीगण की खातेदारी भूमि से अवैध तौर से किये गये अतिक्रमण को हटवाने के आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण को रजिस्ट्रर्ड सम्मन से तलब करने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 2 ,5 उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,4 ,6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये किन्तु प्रतिवादीगण को बार बार जबाब पेश करने का अवसर दिये जाने पर भी जबाब पेश नही करने पर प्रतिवादीगण का जबाब बन्द किया गया प्रतिवादी संख्या 7 पेराकार राज ने जबाब पेश किया की वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिसल किया वादीगण के वाद पर किसी प्रकार का विरोध पेश नही होने पर तनकी कायम नही की गई तथा साक्ष्य में वादी ने शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया जाकर वादीगण की बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया अराजी जरई खाता संख्या 147/149 के खसरा नम्बर 133 की 4.3640हैक रोही मौजा मालिया वादीगण संख्या 1 ,2 के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है उपरोक्त भूमि के खसरा न0 133 के दक्षिण तरफ खसरा न0 134 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने नाजायज विधि वादीगण की खातेदारी भूमि की दक्षिण सीव को तोडकर वादीगण के खेत उतर की तरफ घुसकर नाजायज तरीके से लकडिया , बटोडे , थेपडी आदि डालकर नाजायज नोहरे , मकानात , बना रखे है तथा निर्माण कर रहे है प्रतिवादीगण उक्त वादीगण की खातेदारी भूमि में घुसकर आगे बढकर वादीगण की उतरी तरफ घुस कर नाजायज कब्जा कर रखा है जो खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण करने की श्रेणी में आता है वादीगण ने अपनी भूमि की पैमाईश भी तहसीलदार नोहर से करवाई गई थी किन्तु पैमाईश/सीमाज्ञान की रिपोर्ट सही प्रकार से प्रस्तुत नही की गई है वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा किये गये कब्जे से मुक्त करवाने का अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 147/149 के खसरा न0 133 की 4.3640हैक भूमि वादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा न0 133 के दक्षिण तरफ खसरा न0 134 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने नाजायज विधि वादीगण की खातेदारी भूमि की दक्षिण सीव को तोडकर वादीगण के खेत उतर की तरफ घुसकर नाजायज तरीके से लकडिया , बटोडे , थेपडी आदि डालकर नाजायज नोहरे , मकानात , बना रखे है तथा निर्माण कर रहे है जिसे बेदखल किया जावे

वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो सके की प्रतिवादीगण ने वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रवेश किया गया हो या वादीगण की भूमि पर कब्जा कर रखा हो या कर रहे हो मात्र वादीगण का कथन है

वादीगण ने तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें यह कही पर भी अंकित नही किया गया की प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादीगण की भूमि पर कब्जा कर रखा है

वादीगण का दायित्व था कि वह अपने वाद को साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित करते किन्तु वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में ऐसा कोई भी साक्ष्य /सबुत /गवाह पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:08:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नही किये गये जिससे यह साबित हो सके की वादीगण की खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा /अतिक्रमण किया गया हो मात्र वादीगण का कथन है।

वादीगण के वाद में अंकित तथ्यों से ऐसा प्रतित होता है कि वादीगण ने तहसीलदार नोहर की सीमाज्ञान की रिपोर्ट जो पूर्णत्या अस्पष्ट है से असन्तुष्ट होकर यह वाद पेश किया गया है वादीगण के कथनों से ऐसा प्रतीत होता है वह अपनी भूमि की पैमाईश करवाना चाहता है जिससे यह स्पष्ट हो सके की वादीगण की भूमि पूरी है या उस पर किसी का कब्जा /अतिक्रमण है।

वादीगण ने तहसीलदार नोहर के समक्ष वाद भूमि की पैमाईश करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था किन्तु पैमाईश उपरान्त अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट नही किया की वादीगण की भूमि पर किसी का कब्जा है या नही यदि है तो किस प्रकार का कब्जा है और कितनी भूमि पर है जबकि तहसीलदार का दायित्व था की वह पैमाईश उपरान्त वाद भूमि के सम्बध में स्पष्ट रिपोर्ट अंकित कर वादीगण को अनुतोष प्रदान करते

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण की वाद भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा /अतिक्रमण किया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है वादीगण का वादी वाद भूमि पैमाईश से सम्बधित प्रतित होता है।

तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण के द्वारा अपनी भूमि पैमाईश करने का प्रार्थना पत्र पुनः पेश करने पर उभयपक्षों की उपस्थिति में नियमानुसार विधि सम्मत पैमाईश की जाकर स्पष्ट पैमाईश रिपोर्ट अंकित की जावे

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:08:51 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रोहताश पुत्र कुम्भाराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. परमानन्द पुत्र कुम्भाराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. भैरूराम पुत्र सुणाराम जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
2. ईसरराम पुत्र मामचन्द जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
3. धर्मपाल पुत्र मालाराम जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
4. गोपीराम पुत्र किशनाराम जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
5. हंसराज पुत्र मालाराम जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
6. गोपीराम पुत्र बीरबलराम जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1203 सन 2021 निर्णय दिनांक– 22/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एव अधिवक्ता प्रतिवादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबुतो के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:08:51 IST
Reason: SelfAttested